पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16–07–2021

दिनांक 15/16-07-2021 को रात्रि थाना हसनगंज 03, इन्दिरानगर 01, सरोजनीनगर 02 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 पश्चिमी

अभियुक्त गिरफ्तार

थाना ठाकुरगंज:-दिनांक 16-07-2021 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि दिनांक 26-03-2021 को वादिनी निवासी ठाकुरगंज लखनऊ द्वारा थाना ठाकुरगंज पर अपनी 08 वर्ा्रीय पुत्री के सम्बन्ध में धारा 354 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट बनाम मो0 नफीस के विरूद्व पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री मनोज यादव थाना ठाकुरगंज द्वारा की जा रही है। दिनांक 15-07-2021 को विवेचना के दौरान एस0आई0 श्री मनोज यादव थाना ठाकुरगंज द्वारा उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 01-मो0 नफीस पुत्र गुलाम अहमद निवासी-मल्लाहीटोला मुसाहबगंज कब्रिस्तान के पीछे थाना ठाकुरगंज लखनऊ को मुखबिर की सूचना पर अहमदगंज, ठाकुरगंज से गिरफ्तार कर थाना ठाकुरगंज पर आव८यक वैद्यानिक कार्यवाही की जा रही है।

भा0द0वि0

थाना तालकटोरा:-दिनांक 16-07-2021 को थाना तालकटोरा द्वारा बताया गया कि श्रीमती ममता सिंह पत्नी डब्लू सिंह निवासी 356/एसपी 10 सोनापुरम् कालोनी थाना तालकटोरा लखनऊ ने थाना तालकटोरा पर सूचना दिया कि दिनांक 15-07-2021 को 11.00 बजे रात्रि को उसके पति डब्लू सिंह अपने कमरें में अकेले बैठे थे और वह घर के उपर वाले कमरें में थी कि समय करीब 11.30 बजे रात्रि में वह खाना खाने के लिए अपने पति को कमरें में बुलाने गयी तो देखा कि उसके पति के कमरें का दरवाजा अन्दर से बन्द था और अन्दर से कुण्डी नही लगी थी तो उसने कमरें का दरवाजा खोला और देखा कि उसके पति डब्लू उम्र करीब 45 वर्ा मानसिक तनाव के कारण कमरें की छत में लगे

पंखे में चादर का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री मनोज कुमार मो0नं0-9456074382 द्वारा आव८यक कार्यवाही की जा रही है,** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक फैब्रीकेटर्स का काम करता था, मृतक के 02 पुत्र व 02 पुत्री हैं।

<u>थाना ठाकुरगंज</u>:-दिनांक 16-07-2021 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि दिनांक 15-07-2021 को वादी श्री शशिकान्त यादव पुत्र शंकर यादव निवासी ग्राम इटौली थाना काकोरी लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि 15-07-2021 को समय करीब 7.30 बजे सांय वादी अपनी पत्नी के साथ डैडी कूल स्थित मिस्टर पिज्जा रेस्टोरेन्ट पर गया था और वादी द्वारा अपनी गाड़ी नं0 यूपी 32 एसएस 1648 दुकान के बाहर खड़ा कर दिया था उसी दौरान अज्ञात चोर द्वारा वादी की गाडी का शीशा तोड़कर गाड़ी में रखे वादी की पत्नी के पर्स से मोबाइल फोन, सोने की अंगूठी, एक सोने का हार व 20 हजार रुपये चोरी कर लिया गया। **इस सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0 401/2021 धारा 427/379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया**, जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री सुधीर कुमार मिश्रा थाना ठाकुरगंज द्वारा की जा रही है।